# उपायुक्त का न्यायालय, कोडरमा

संदेहात्मक जमाबन्दी वाद संख्या–06 / 2015–16

राज्य बनाम हरिहर सिंह।

## आदेश

अपर समाहर्त्ता, कोडरमा के पत्रांक 1181 / रा0 दिनांक 26.07.2016 द्वारा DFCC परियोजना हेतु अधियाचित भूमि अन्तगर्त संदेहात्मक जमाबन्दी से संबंधित वाद संख्या–06 / 2015–16 जमाबंदीदार का नाम–हरिहर सिंह पिता–बेनी सिंह, ग्राम–सी0एच0 स्कूल रोड, झुमरी तिलैया का अभिलेख राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक– 2074 / रा0 दिनांक 13.05.2016 एवं बिहार सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, के पत्रांक–2308 / रा0 दिनांक 03.09.1985 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम–1950 की धारा–4h के तहत् कार्रवाई हेतु उक्त अनुशंसा के साथ जमाबन्दी को रद्द करने हेतु अभिलेख प्राप्त हुआ है।

अंचल से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार DFCC (Dedicated Frieght Corridore Corporation) रेलवे परियोजना हेतु मौजा–बेलाटाड़, थाना नं0–246, खाता नं0–31, प्लॉट नं0–16, रकवा–1.14ए0 की अधियाचना की गई है, उक्त भूमि के रकवा 0.04 ए0 भूमि की पंजी–II की पृष्ठ संख्या–47 / 04 पर श्री हरिहर सिंह पिता–बेनी सिंह के नाम से कायम है, जो वर्ष 1972–73 से चल रहा है। प्रथम लगान रसीद संख्या–278907 वर्ष 1972–73 एवं अंतिम लगान रसीद संख्या–855848 वर्ष 1999–2000 तक निर्गत है। प्रस्तावित भूमि गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है। जमीन्दार द्वारा रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है।

जमाबन्दीदार श्री हरिहर सिंह की ओर से उनके पुत्र शिशिर सिंह अपना पक्ष / दावा प्रस्तुत किया कि जमाबन्दीदार श्री हरिहर सिंह पिता बेनी सिंह को उक्त भूमि Deed of Exchange (बदलैन) के माध्यम से श्री भुनेश्वर सिंह, श्री प्रताप सिंह एवं रामकृपाल सिंह सभी पुत्र बेनी सिंह से प्राप्त है। प्रश्नगत भूमि दाखिल–खारिज वाद संख्या–96(II)/1978-79 द्वारा श्री हरिहर सिंह के पक्ष में स्वीकृत है। सरकारी लगान रसीद यथा रसीद संख्या–390542 वर्ष 1986–87 एवं रसीद संख्या–349990 वर्ष 1989–90 उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उपलब्ध कागजातों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि भूमि सुधार अधिनियम 1950 के लागू होने के उपरान्त उनकी जमाबन्दी वर्त्तमान पंजी II में किस प्रकार कायम हुई और न ही उनके द्वारा साक्ष्य के रूप में FORM (M) प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि उक्त भूमि पर संबंधित मध्यवत्ती द्वारा सरकार से मुआवजा लिया गया है अथवा नहीं। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में जमाबन्दी संदेहात्मक प्रतीत होता है।

अंचल अधिकारी, कोडरमा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा द्वारा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक– 2074 / रा0 दिनांक 13.05.2016 एवं बिहार सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, के पत्रांक–2308 / रा0 दिनांक 03.09.1985 के आलोक में बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम–1950 की धारा–4h के तहत् कार्रवाई हेतु उक्त अनुशंसा के साथ जमाबन्दी को रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

सरकारी अधिवक्ता का लिखित जवाब इस प्रकार हैः–

1. That in the instant case, the documents filed by the Opp. Party regarding the land in question, is not genuine.
2. That the Hukumnama and other receipts have not been supported by Zamindari Return and the said Hukummnama is forged, fabricated and not enforceable in the eye of law.
3. That the rent receipts are also not genuine as there is not any order of competent authority to open/issue the first Rent Receipt in any person regarding the land in question.
4. That the instant land is Gair Mazurwa and recorded in the name of State Government and the government has not settled such land to the Opp. Party
5. That it is established principle of law that Rent Receipt does not create any right, title over the land.

अभिलेख में संलग्न कागजातों के अवलोकन से उक्त बन्दोबस्ती संदेहास्पद प्रतीत होती है। अतः अंचल अधिकारी, कोडरमा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कोडरमा, अनुमंडल पदाधिकारी, कोडरमा एवं अपर समाहर्त्ता, कोडरमा की अनुशंसा और सरकारी अधिवक्ता, कोडरमा के विधिक मंतव्य के आलोक में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 के प्रावधानानुसार मौजा–बेलाटांड़, थाना नं0–246, खाता नं0–31, प्लॉट नं0–16, रकवा–1.14ए0 के नाम से कायम जमाबन्दी, Schedule-1 की जमाबन्दी धारा 4(h) of Bihar Land Reform Act 1950 के अन्तर्गत रद्द की जाती है।

आदेश की प्रति के साथ मूल अभिलेख आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग को आदेश की सम्पुष्टि हेतु भेजे।

Details of Land:- मौजा–बेलाटांड़, थाना नं0–246, खाता नं0–31, प्लॉट नं0–16, रकवा–1.14ए0

लेखापित एवं संशोधित

10/11

उपायुक्त, कोडरमा।

उपायुक्त का न्यायालय
सत्यमेव जयते
कोडरमा

10/11

उपायुक्त
कोडरमा।